बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/टी०–10/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डॉ० अंजनी सौरभ, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा, जमुई द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि डॉ0 सौरभ की नियुक्ति–सह–पदस्थापन विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनांक–06.02.2026 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा, जमुई में किया गया। डॉ0 सौरभ नियुक्ति से पूर्व PIMS, Loni, Maharastra में सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर पद पर कार्यरत थे। डॉ0 सौरभ दिनांक–27.02.2026 को पदस्थापित संस्थान में योगदान कर प्रभार ग्रहण किये एवं दिनांक –27.02.2026 को ही प्रभार त्याग कर सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण करने के लिए PIMS, Loni, Maharastra हेतु विरमित हो गये। सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पश्चात डॉ0 सौरभ द्वारा विभाग में आवेदन समर्पित कर योगदान स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनाक–06.02.2026 के कंडिका–15 में निम्न प्रावधान है:–

"नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर पदस्थापित/कार्यरत हैं तो वे भी नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार त्याग कर बचे हुए टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु उसी दिन विरमित भी हो जाएंगे। बचे हुए टेन्योर अवधि में वे बिहार स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी माने जाएंगे तथा उक्त अवधि में उन्हें पूर्व प्राप्त हो रहे मानदेय/वेतन के स्थान विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए निर्धारित वेतनमान (11वाँ स्तर) प्राप्त होगा। उक्त हेतु संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को आवेदन दिया जाएगा। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगें।"

3. विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनांक–06.02.2026 के कंडिका–15 के नियमानुसार डा० सौरभ को PIMS, Loni, Maharastra में सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु विरमित नहीं किया जाना था, परन्तु असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई द्वारा डा० सौरभ को PIMS, Loni, Maharastra में सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु विरमित कर दिया गया था। समीक्षोपरांत डॉ0 सौरभ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में डा० सौरभ का आवेदन स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में योगदान कराने का निर्णय लिया गया है।

4. वर्णित स्थिति में डा० सौरभ को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के आलोक में वे स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में अविलम्ब योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या–250(2), दिनांक–06.02.2026 के कंडिका–15. के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने के कारण असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई को स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया जाता है ।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/टी०–10/2026– 9473(2) /स्वा०, पटना, दिनांक 12/10 /2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/राचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव /सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा, जमुई/डॉ० अंजनी सौरभ, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/26
सरकार के उप सचिव।